

न्यायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)



आदेश पत्रक

50

वाद सं०-म 19 / 20.19

धारा-107 द०प्र०सं०

अरराड सरकाल बनाम फरजुल कंसारी वगैरह

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
	<p>अभिलेख सं०-एम..... 19 / 20.19..... में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी तमाड के अप्राथमिकी सं०- 06/19 दिनांक-19-03-19..... के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि बिनाके 06/05/19 को लोकसभा चुनाव के अवसर पर शांति भंग होने की संभावना है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 01/04/19 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p>	

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख

16-08-19

विपनी अनुपस्थित / कार्यपालक दण्ड अधिकारी के अस्त 1 दिनांक 30-08-19 का शर्त ।

30-08-19

अभिलेख उपस्थापित / विपनी अनुपस्थित / विष लोक समा इनाम 2019 शान्ति रथ से सम्पन्न हो गया है

अतः विपनी कर्मांक 02 सहित अन्वेषी के विरुद्ध निर्गत वॉन्ट को रिकॉल करते हुए वाद के अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है


30/8/19